

विहार गृह रक्षा वाहिनी का स्वच्छ नामांकन
विज्ञापन सं०- 01 / 2009 का द्वितीय परिणाम

जिला- बिबान।

क्र० सं०	आवेक का पावती संख्या	आवेक का नाम/पिता का नाम	स्थायी पता	अस्थाय कोटि	व्ययित कोटि	आयुक्ति
			प्रखण्ड- शान्त			
			शून्य			
			प्रखण्ड- बरहरीया			
			शून्य			
			प्रखण्ड- सावानपुरखंड			
			शून्य			
			प्रखण्ड- दरौली			
1	112	शैलेंद्र यादव, पिता- श्री राजनाथ यादव	ग्राम- दुमहर खुर्द, पो०-दुमहर खुर्द, थाना- दरौली, प्रखण्ड- दरौली	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	
			प्रखण्ड- दरौली			
1	36	अजित कुमार सिंह, पिता- राजबल्लभ सिंह	ग्राम- खड़सरा, पो०- जलालपुर, थाना- दरौदा, प्रखण्ड- दरौदा	अनारक्षित	अनारक्षित	
			प्रखण्ड- दरौली			
			शून्य			
			प्रखण्ड- गोरयाकोठी			
1	32	राकेश कुमार यादव, पिता- वैजनाथ यादव	ग्राम-सिसई, पो०-सिसई, गोरयाकोठी	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	
2	166	छोटलाल पाण्डेय, पिता- रघुनाथ पाण्डेय	ग्राम-सिसई, पो०-सिसई, गोरयाकोठी	अनारक्षित	अनारक्षित	
			प्रखण्ड- लिसई			
			शून्य			
			प्रखण्ड- हरीनाथ			
			शून्य			
			प्रखण्ड- कसनपुरा			
			शून्य			

(Handwritten signature)


(Handwritten mark)

(Handwritten mark)


		प्रखण्ड- महाराजगंज			
		शून्य			
		प्रखण्ड- पचरुखी			
1	154	अरविन्द कुमार यादव, पिता-उमाशंकर यादव	ग्राम-जसौली खर्ग, पो0-जसौली, थानामप्रखण्ड-पचरुखी	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
			प्रखण्ड- रघुनाथपुर		
			शून्य		
			प्रखण्ड- सिवान सदर		
			शून्य		
			प्रखण्ड- सिवान		
			शून्य		
			खण्ड- सिवान शहर		
			शून्य		

बिहार गृह रक्षा वाहिनी का स्वच्छ नामांकन के संबंध में आवश्यक शर्तें निम्न प्रकार है :-

1. द्वितीय परिणाम प्रकाशन की तिथि से एक पक्ष के अन्दर तक चयनित अभ्यर्थियों का योगदान जिला समादेष्टा कार्यालय, सिवान में लिया जाएगा। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उम्मीदवारी स्वतः निरस्त समझा जाएगा। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के जगह प्रतीक्षा सूची में नियमानुसार दुसरे अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाएगा।
2. सभी चयनित अभ्यर्थी योगदान देने के वक्त अपने सभी प्रमाण पत्रों यथा : जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र इत्यादि के सत्याता के संबंध में शपथ पत्र जमा करेंगे। शपथ पत्र में गलत सूचना देने पर उम्मीदवारी निरस्त करते हुए कानूनी कारवाई की जाएगी तथा इस अवधि में दिये गये कर्तव्य भत्ते की वसूली कर ली जाएगी।
3. विज्ञापन संख्या-01/2009 के परिणाम में लिपिकीय भूल के कारण चयनित अभ्यर्थी के दावा को बिना कारण बताये रद्द कर दिया जाएगा।
4. चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा परिणाम को विशेष परिस्थिति में संशोधित या रद्द किया जा सकता है।
5. चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र के संबंध में जिला समादेष्टा अथवा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा से अथवा अन्य कही से भ्रामक अभिलेख के संबंध में सही सूचना प्राप्त होने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दिया जाएगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन में प्रतिकूल अभ्युक्ति पाये जाने पर उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगा।

जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, सिवान

 2-11-11

जिला कल्याण पदाधिकारी, सिवान


पुलिस अधीक्षक, सिवान

 02/11/11

जिला पदाधिकारी, सिवान
